मध्यप्रदेश विधान सभा

फरवरी-अप्रैल, 2008 सत्र

दैनिक कार्य सूची

बुधवार, दिनांक 12 मार्च, 2008 (फाल्गुन 22, 1929)

समय 10.30 बजे दिन

1. प्रश्नोत्तर

पृथकतः वितरित सूची में सम्मिलित प्रश्न पूछे जायेंगे तथा उनके उत्तर दिये जायेंगे.

2. पत्रों का पटल पर रखा जाना

(1) श्री राघवजी, वित्त मंत्री, मध्यप्रदेश अधोसंरचना विनिधान निधि बोर्ड अधिनियम, 2000 (क्रमांक 6 सन् 2000) की धारा 13 की उपधारा (2) की अपेक्षानुसार मध्यप्रदेश अधोसंरचना विनिधान निधि बोर्ड का पांचवा एवं छठवां वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2005-2006 एवं 2006-2007 पटल पर रखेंगे.

(2) श्री जयंत मलैया, आवास एवं पर्यावरण मंत्री, मध्यप्रदेश जैव अनाश्य अपशिष्ट (नियंत्रण) अधिनियम, 2004 (क्रमांक 20 सन् 2004) की धारा 19 की उपधारा (2) की अपेक्षानुसार आवास एवं पर्यावरण विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ 5-3-99-बत्तीस, दिनांक 25 अगस्त, 2007 पटल पर रखेंगे.

(3) श्री गोपाल भार्गव, किसान कल्याण तथा कृषि विकास मंत्री, जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय, अधिनियम, 1963 (क्रमांक 12 सन् 1963) की धारा 40 की उपधारा (3) की अपेक्षानुसार जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय, जबलपुर (म.प्र.) की वैधानिक आडिट रिपोर्ट वर्ष 2006-2007 (उप संचालक, स्थानीय निधि संपरीक्षा, जबलपुर (म.प्र.) द्वारा प्रेषित प्रमुख आपत्तियां, स्पष्टीकरण हेतु उत्तर एवं प्रमंडल की टिप्पणियां) पटल पर रखेंगे.

(4) सुश्री कुसुम सिंह, महिला एवं बाल विकास मंत्री, मध्यप्रदेश राज्य महिला आयोग अधिनियम, 1995 (क्रमांक 20 सन् 1996) की धारा 14 की अपेक्षानुसार मध्यप्रदेश राज्य महिला आयोग का वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2005-2006 पटल पर रखेंगी.

(5) श्री अंतर सिंह आर्य, विधि और विधायी कार्य मंत्री, विशेष विवाह अधिनियम, 1954 (क्रमांक 43 सन् 1954) की धारा 50 की उपधारा (4) की अपेक्षानुसार विधि और विधायी कार्य विभाग की अधिसूचना फा.क्रमांक 6-2-2005-इक्कीस-ब(दो), दिनांक 23 जनवरी, 2008 पटल पर रखेंगे.

3. नियम 138 (1) के अधीन ध्यान आकर्षण

(1) डॉ. गोविन्द सिंह, सदस्य, भिण्ड जिले में सार्वजनिक वितरण प्रणाली से खाद्यान्न एवं मिट्टी का तेल न मिलने की ओर खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(2) श्री ओम प्रकाश खटीक, सदस्य, शिवपुरी जिले के कोलारस क्षेत्र में पेयजल संकट होने की ओर लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

4. वर्ष 2007-2008 के तृतीय अनुपूरक अनुमान का उपस्थापन.

श्री राघवजी, वित्त मंत्री, वर्ष 2007-2008 के तृतीय अनुपूरक अनुमान का उपस्थापन करेंगे.

5. प्रतिवेदनों की प्रस्तुति

श्री दीवान सिंह पटेल, सभापति, याचिका समिति का नौवां, दसवां, ग्यारहवां, बारहवां एवं तेरहवां प्रतिवेदन प्रस्तुत करेंगे.

6. वक्तव्य

(1) कुंवर विजय शाह, वन मंत्री, दिनांक 31 अक्टूबर, 2006 को पूछे गये अतारांकित प्रश्न संख्या 38 (क्रमांक 347) के उत्तर में संशोधन करने के संबंध में वक्तव्य देंगे.

(2) श्री जगदीश देवड़ा, श्रम मंत्री, दिनांक 2 अगस्त, 2007 को पूछे गये अतारांकित प्रश्न संख्या 8 (क्रमांक 1101) के उत्तर में संशोधन करने के संबंध में वक्तव्य देंगे.

7. वर्ष 2008-2009 की अनुदानों की मांगों पर मतदान.........(क्रमशः)

निर्धारित समय			
1 घन्टा 30 मि.	(1)	मांग संख्या - 23	जल संसाधन
		मांग संख्या - 40	जल संसाधन विभाग से संबंधित व्यय-आयकट
		मांग संख्या -44	उच्च शिक्षा
		मांग संख्या - 45	लघु सिंचाई निर्माण कार्य
		मांग संख्या - 57	जल संसाधन विभाग से संबंधित विदेशों से सहायता प्राप्त परियोजनाएं.
1 घन्टा	(2)	मांग संख्या - 34	समाज कल्याण
		मांग संख्या - 55	महिला एवं बाल विकास.
1 घन्टा	(3)	मांग संख्या - 07	वाणिज्यिक कर.
1 घन्टा	(4)	मांग संख्या - 20	लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी.
30 मि.	(5)	मांग संख्या - 14	पशुपालन.
1 घन्टा 30 मि.	(6)	मांग संख्या - 10	वन
		मांग संख्या - 33	आदिम जाति कल्याण
		मांग संख्या - 41	आदिवासी क्षेत्र उप योजना.
1 घन्टा	(7)	मांग संख्या - 18	श्रम
		मांग संख्या - 49	अनुसूचित जाति कल्याण
		मांग संख्या - 64	अनुसूचित जाति उप योजना

डॉ. ए.के. पयासी
प्रमुख सचिव,
मध्यप्रदेश विधान सभा.

भोपाल :
दिनांक : 11 मार्च, 2008